

**साार-समाचार**

**तीन नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया**

कोटा, (निर्स)। मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम ने कार्यवाही करते हुए शहर के अलग-अलग थाना इलाको से गुमशुदा हुई तीन नाबालिग बालिकाओं को रेस्क्यू कर दस्तयाब किया। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 31 जनवरी को न्यायालय से पेश परिवाद पर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ जिसमें 13 साल की नाबालिग बालिका के कोरल पाक से गुमशुदा होने की बात सामने आई। परिवार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। वही 2 फरवरी को दादाबाड़ी थाने में 15 वर्षीय नाबालिग बालिका घर से बिना बताये कहीं जाने का मामला सामने आया। जिस पर रिपोर्ट दर्ज की गई। उधर 3 फरवरी को गुमानपुरा थाने में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के घर से बिना बताये कहीं जाने का मामला सामने आया। शहर एसपी ने बताया कि गुमशुदा हुई नाबालिग बालिकाओं की तलाश के लिये मानव तस्करी विरोधी यूनिट की प्रभारी बबिता चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि टीम ने कार्यवाही करते हुए थाना गुमानपुरा इलाके से 3 फरवरी को गुमशुदा हुई 17 वर्षीय बालिका को केसरबाग बजरंग नगर से रेस्क्यू कर अनुसंधान के लिये गुमानपुरा को सुपुर्द किया। वही दादाबाड़ी इलाके से 1 फरवरी को गुमशुदा हुई 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को तलवंडी से सकुशल रेस्क्यू कर अनुसंधान के लिये दादाबाड़ी को सुपुर्द किया। उधर बोरखेड़ा इलाके में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका की गुमशुदगी के मामले में बारां जिले के बराना गांव स्थित मोग्या बस्ती में होने की सूचना मिली जिस पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम को बारां भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए सकुशल नाबालिग बालिका को रेस्क्यू कर दस्तयाब किया और अनुसंधान के लिये बोरखेड़ा थाने को सुपुर्द किया।

**कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेंडर जारी किए**

कोटा, (निर्स)। शहरवासियों का एयरपोर्ट का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिए हैं। गुर्वार को दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने स्पीकर बिरला को एयरपोर्ट को लेकर चल रही प्रक्रियाओं की जानकारी दी। स्पीकर बिरला ने उन्हे शौंर टेंडर जारी करवाने को कहा, जिसके बाद शाम होते-होते एयरआई ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता व एयरपोर्ट अथॉरिटी के शरद कुमार भी मौजूद रहे। उड्डयन मंत्री नायडू ने स्पीकर बिरला को जानकारी दी कि अगले 3 महीने में टेंडर से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। दिसंबर 2027 तक एयरपोर्ट निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और कोटा से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसका लाभ कोटा-बूंदी क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ पूरे हाइवेटी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को मिलेगा। एयरआई द्वारा जारी टेंडर के अनुसार, पहले फेज में करीब 467.67 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण कार्य होगा। इसमें रनवे सहित एयर साइड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल जबकि, दिसंबर 17 अप्रैल को टेंडर घोषित होगा। इसके अलावा अन्य एंजिनियरों द्वारा भी सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम शुरू कर दिया है।

**भगवान देवनारायण की शोभायात्रा निकाली**

कोटा, (निर्स)। भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती पर गुर्वार को कोटा में गुर्जर समाज ने अनूठे अंशज में भगवान देवनारायण जयंती धूमधाम से मनाई। कोटा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की तर्ज पर भगवान देवनारायण की शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें नये थर पर सवार होकर भगवान देवनारायण ने नगर भ्रमण किया। किशोरपुरा स्थित भगवान पदमनाभ मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ गणेश नगर स्थित देवनारायण मंदिर तक शोभायात्रा निकाली। शुभारंभ के अवसर पर रघुनाथ जी भगवान मंदिर से गुर्जर महिलाओं ने पदम नाथजी को चांदी का मुकुट धारण कराया। उत्सवचात पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, मुन्ना लाल गुर्जर संरक्षक रामलाल गुंजल, डॉक्टर बी.एल.गोचर, सुरेश गुर्जर, राधेश्याम वर्मा, शिवराज गुंजल आदि ने पदम नाथजी और भगवान देवनारायण की आरती करके शोभायात्रा को रवाना किया। 10 किलोमीटर मार्ग में गुर्जर समाजबंधु परंपरागत परिवेश में शामिल हुए। लखरेज महिला-पुरुष, बच्चे और युवाओं ने 10 किलोमीटर तक उत्साह और उमंग से रिसियों से बंधे रथ को खींचा। जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में समाजबंधु उमड़ें।

**विवाहिता ने आत्महत्या की**

कोटा, (निर्स)। रामपुरा कोतवाली इलाके में शुक्रवार को एक विवाहिता ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार मामलों में सामने आया कि महिला ने दस साल पहले ही लव मैरिज की थी। महिला पति व बच्चे के साथ किराये से रहती थी। रामपुरा कोतवाली थानाधिकारी महेश करवाल ने बताया कि मृतका किरण (28) निवासी मध्यप्रदेश हाल रामपुरा के शिवदास घाट गली में किराये से पति विष्णु व बालक के साथ रहती थी। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में सामने आया कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई जिस पर किरण ने मकान मालिक के कमरे में जाकर चुन्नी से फांसी का फन्दा लगा आत्महत्या कर ली। महिला को नीचे उतारकर परिजन उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल लेकर गये। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि महिला ने 2016 में लव मैरिज की थी। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका किरण के पीहर वालों को बुलाया गया। परिजनों के कोटा पहुंचने पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

**फरार ईनामी आरोपी गिरफ्तार**

कोटा, (निर्स)। दोगद पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए थाना मंडाना एनडीपीएस एक्ट में करीब आठ साल से फरार चल रहे ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के सुपरविजन में चलाया जा रहा है। कोटाग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस उपअधीक्षक राजेश ढाका के निदेशन में थाना दोगद के उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुरुषोत्तम मेहता के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट मामले में 19 मई 2024 से फरार 2 हजार के ईनामी आरोपी लुहारिया थाना डग जिला झालावाड़ निवासी सुजानसिंह (35) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी में दोगद थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुरुषोत्तम मेहता का विशेष योगदान रहा है।

**गांजे के पांच पाँधे जब्त**

छबड़ा (निर्स)। पाली पुलिस ने अवेध मालक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए एक खेत में लहसुन की फसल के बीच लगे 1 किलो 400 ग्राम से अधिक वजन के 5 गांजे के पाँधे जब्त किये हैं तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली पुलिस के अनुसार अभियान के तहत पुलिस ने घाटाखेड़ी गांव निवासी देवलाल लोधा के खेत में लहसुन की फसल के बीच लगे 1 किलो 403 ग्राम के 5 गांजे के पाँधों को जब्त किया तथा आरोपी देवलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में थानाधिकारी विष्णुप्रसाद पंकज, कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल लखनसिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल भरत सिंह व चालक कांस्टेबल लोकेश शामिल रहे।

**साध्वी भारती ने विद्यार्थियों को मोटिवेट किया**

छबड़ा (निर्स)। अमरचंद राजकुमारी बरडिया जैन कॉलेज के विद्यार्थियों को कथावाचक प्रियंका भारती ने मोटिवेट करते हुए सफलता के टिप्स बताए। इस अवसर पर संपीठ बरडिया व प्राचार्य डॉ. आरसी मीणा भी मौजूद थे। यहां भारती ने कहा कि शिक्षक व गुरु ही हमेशा आपके जीवन कि उन्नति की कामना करता है। जबकि डॉक्टर सोचता है कि मेरे पास ज्यादा से मरीज आए, वकील सोचता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मुकदमे आए। लेकिन गुरु व शिक्षक सोचता है कि मेरे शिष्य हमेशा आगे बढ़ें और समाज, राष्ट्र की उन्नति करें। शिक्षक अपने जीवन का सर्वस्व और किसी के समक्ष नहीं। बरडिया ने कहा कि अपने जीवन को अनुसंधान रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर सभी सहायक आचार्य और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

**राज्य सरकार की एग्रीस्टैक पहल, किसानों के लिए डिजिटल पहचान और योजनाओं का लाभ आसान होगा**



जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने किसान को पंजीयन की रसीद सौंपी।

कोटा, (निर्स)। किसानों के समय विकास और सरकारी योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्रीस्टैक) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुर्वार को खैराबाद की उडवावा ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। इससे किसानों को न केवल एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सहायित होगा। शिविर के दौरान उन्होंने किसानों से व्यक्तिगत संवाद किया और सभी काउंटरों का निरीक्षण कर तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों को अपने हाथों से रजिस्ट्री आईडी पत्र सौंप कर शुभकामनाएं दीं।

इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों का आधार से जुड़ी फार्मर आईडी दी जाएगी, जिससे वे विभिन्न कृषि योजनाओं का सरलता से लाभ उठा सकेंगे। यह पहल किसानों को बेहतर कृषि निवेश, कृषि विशेषज्ञों से समय पर मार्गदर्शन, फसल बीमा, आपदा प्रबंधन सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड

**हमले के आरोपियों को सजा सुनाई**

छबड़ा (निर्स)। एडीजे अविनाथ चौधरी ने दस वर्ष पूर्व हुए प्राणघातक हमले के तीन आरोपियों को गुर्वार को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अधिवक्ता अमृतलाल लोधा के अनुसार हरनावदाहागाँव थाना क्षेत्र के दीगोदजागीर निवासी जानाबाई लोधा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 7 सितम्बर 2014 को मैं और मेरी बहू ममता बाई खेत पर चारा काटने गई थीं। मैं दूसरे खेत पर जानवर देखने चली गईं। वापस लौटते समय मुझे दीगोदजागीर निवासी कालू पुत्र गणपत, रामदयाल पुत्र गणपत एवं डोंगीपुरा थाना क्षेत्र के गोरियाखेड़ा निवासी बाबूलाल ने उस पर प्राणघातक हमला कर दिया और खेत पर काम कर रही ममता बाई के साथ भी मारपीट की। इस मामले में एडीजे चौधरी ने आरोपियों को दण्डित किया।



जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने किसान को पंजीयन की रसीद सौंपी।

जैसे सुविधाएं प्राप्त करने में सहायक होगी। जिला कलेक्टर ने किसानों से शौंर फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने की अपील की, जिससे वे बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। शिविर के नोडल अधिकारी एसडीएम लाडपुरा जयेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरे दिन कोटा जिले में लगभग 495 ई-केवाईसी एवं 153 किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई।

भविष्य में होगी अनिवार्य:- कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), डीबीटी, आपदा राहत सहायता, कृषि योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति और बजट आवंटन के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य होगी। यह आईडी किसानों की भूमि की डिजिटल पहचान बनाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का सुव्यवस्थित और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

**समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 10 मार्च से**

कोटा, (निर्स)। भारतीय खाद्य निगम मण्डल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सर्वाई माधोपुर में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान गेहूं विक्रय हेतु दिनांक 25 जून तक पर ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। इस वर्ष एफसीआई को 36 राजफेड को 19 तिलम संघ को 27 नोफेड को 2 एवं एनसीसीएफ को 5 खरीद केन्द्रों पर खरीद का कार्य आवंटित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने वाली खरीद एंजेंसियों राजफेड, तिलम संघ, नोफेड एवं एनसीसीएफ के लिए खरीद कार्य हेतु गुणवत्ता एवं विश्लेषण

की सुविधा दी गई है। सत्यापन के बाद किसानों की भूमि डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है, और उनका फार्मर आईडी पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है।

कलेक्टर ने किया आंगनबाड़ी व स्कूल का निरीक्षण:- बन्दा में कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर एमपीएसएन-डे के तहत टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एनएम के निर्देशित किया कि वह प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर बच्चों की ड्यू लिस्ट अपने पास आवश्यक रूप से रखें ताकि टीकाकरण वाले बच्चों को टैक कर सही समय और सही दिन बुलाया जा सके। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर शिक्षकों और विद्यार्थियों से शैक्षिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने छात्रों से कक्षा में पाठ पढ़ाव्या में अध्यापकों को निर्देशित किया कि वह कक्षा में कमजोर छात्रों पर अधिक ध्यान देते हुए सही रणनीति के साथ अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ावें। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी नीता वसीटा, तहसीलदार नेहा वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी समथ सिंह मीणा, समस्त विभागाध्यक्ष व सरकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**आम सूचना**

हम हमारे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की वर्ष 2014 से 2018 के बीच की फाइलें व रिकार्ड को नष्ट कर रहे हैं, जिस किसी मरीज, व्यक्ति या उनके परिजनों को इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह आज दिनांक 07.02.2025 से 07.03.2025 के मध्य ( एक माह के अन्दर ) गोयल हॉस्पिटल में आकर संपर्क करें।

**गोयल हॉस्पिटल**

5-बी-14, सुभाष सर्किल तीन बनी चौराहा के पास, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (राज.)

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक-एफ11 विक्रय/2025/829 विज्ञापित दिनांक 5.2.25 नगर विकास न्यास कोटा की योजना मुकुन्दरा विहार स्पेशल आवासीय पूरखड संख्या 778 को आवंटन/न्यास के पत्र क्रमांक 352 दिनांक 16.11.2023 को श्रीमती सीता बाई पत्नी श्री कालूलाल मालव को आवंटन किया गया था। उक्त पूरखड की रजिस्ट्री पूर्व में कार्यालय के पत्र क्रमांक 289 दिनांक 11.05.2023 को जारी की गई थी आवंटन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार जारी मूल रजिस्ट्री प्रपत्र जानवरों द्वारा खर्द-बुर्द कर दी गई है। पुनः नवीन रजिस्ट्री प्रपत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः जरिरे आम सूचित किया जाता है कि इस रजिस्ट्री में किसी को कोई ऐराज या आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त पूरखड संख्या 778 योजना मुकुन्दरा विहार स्पेशल आवासीय की रजिस्ट्री श्रीमती सीता बाई पत्नी श्री कालूलाल मालव के नाम जारी कर दी जावेगी। उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक-4876 जाहिर आम सूचना दिनांक 6.2.25 आवास संख्या 2-एस-2 रंगवाड़ी एस.एफ.एस. कोटा का आवंटन मण्डल कोटा की चन्द्रकाना कोटारी पुत्र श्री ओमप्रकाश कोटारी को किया गया था। इस आवास का विधिवत/निष्पक्ष श्रीमती पुष्पा विजय पत्नी श्री दिनेश विजय के नाम दिनांक 30.03.2004 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती पुष्पा विजय पत्नी श्री दिनेश विजय द्वारा दिनांक 02.04.2005 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती पुष्पा विजय पत्नी श्री दिनेश विजय द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कर्तव्य हेतु अपनी ओर से दिनांक 03.09.2007 को मुकुन्दरामा आम अर्पणित कर श्री अमर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को अपना मुकदार आम निवृत्त किया गया। श्री अमर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह मुकुन्दराम श्रीमती पुष्पा विजय पत्नी श्री दिनेश विजय द्वारा मुकुन्दराम को हस्तित से उक्त आवास का बँचान जरिरे विक्रय पत्र अर्पणित कर दिनांक 08.10.2024 को श्रीमती मनीषा मालव पत्नी श्री श्याम विहारी को किया गया। श्रीमती मनीषा मालव पत्नी श्री श्याम विहारी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-एस-2 रंगवाड़ी एस.एफ.एस. कोटा को विक्रय पत्र में आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करते हुए आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मनीषा मालव पत्नी श्री श्याम विहारी का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मनीषा मालव पत्नी श्री श्याम विहारी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मनीषा मालव पत्नी श्री श्याम विहारी का नाम दर्ज कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक-एफ11 विक्रय/2025/831 दिनांक-05.02.25 नाम हस्तान्तरण चाहने बावत आम सूचना नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पूरखड संख्या 1312 श्रीनाथपुरन-बी आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 1768 दिनांक 20.05.1993 को श्री किशन चन्द्र पुत्र श्री गोकुल दास के नाम आवंटन किया गया था। श्री किशन चन्द्र पुत्र श्री गोकुल दास द्वारा उक्त पूरखड का जर्ज मुकुन्दराम श्रीमती कुसुम जैन पत्नी श्री चन्द्र जैन द्वारा उक्त पूरखड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2006 को श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री चैबर चन्द्र गुप्ता को किया कर दिया गया है। अतः श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री चैबर चन्द्र गुप्ता द्वारा उक्त पूरखड का स्वामित्व का स्थापित करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः जरिरे आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण को स्वीकृति देने में किसी भी को कोई ऐराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त पूरखड संख्या 1312 श्रीनाथपुरन-बी आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री चैबर चन्द्र गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक 4899 जाहिर आम सूचना दिनांक - 6.2.25 आवास संख्या 3-ब-43 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री गुरुदत्तल पुत्र श्री उर्वरिया मल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री गुरुदत्तल पुत्र श्री उर्वरिया मल द्वारा दिनांक 28.07.2003 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र श्री गुरुदत्तल पुत्र श्री उर्वरिया मल की मृत्यु दिनांक 02.10.2018 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरत इनके वारिसानों में श्री इन्द्र कुमार दोलानी, श्री विजय कुमार दोलानी व श्री संजय दोलानी पुत्रान स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी एवं श्रीमती आशा कटारिया पुत्रो स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे एक त्याग पत्र दिनांक 21.11.2024 को श्रीमती गणेशी बाई पत्नी स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी के पक्ष में किया गया। श्रीमती गणेशी बाई पत्नी स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ब-43 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्रीमती गणेशी बाई पत्नी स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी के नाम दिनांक 03.11.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरत इनके वारिसानों में श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल एवं श्रीमती रश्मि शर्मा पुत्री स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 20.02.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 11.03.1991 को इनकी मृत्यु उपरत इनके वारिसानों में श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास का दान जरिरे दान पत्र अर्पणित कर दिनांक 09.11.1998 को श्री रामरघु खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री मंगीलाल को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री मंगीलाल की मृत्यु दिनांक 03.11.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरत इनके वारिसानों में श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल एवं श्रीमती रश्मि शर्मा पुत्री स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्रीमती गणेशी बाई पत्नी स्व. श्री गुरुदत्तल उर्फ ढाका दास दोलानी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 31.07.1992 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरत श्रीमती कलराती खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाक्तित हिस्से का त्याग जरिरे दिनांक 02.12.2022 को श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के पक्ष में किया गया। श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिक्रिये प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-21 लखवली कोटा उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक त्याग पत्र के आधार पर श्री हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामरघु खण्डेलवाल के नाम दिनांक 15 दिवस के अन्द